

- **राज्य के कारकों के आधार पर बदलती केंद्रीय सहायता:** राज्यों को मिलने वाली एक समान और निश्चित केंद्रीय सहायता हटाई जा सकती है। यह राज्य की स्थलाकृति जैसे कारकों के आधार पर अलग-अलग होनी चाहिए।
- **निर्माण-पूर्व प्रक्रियाओं को सुगम बनाना:** परियोजना शुरू करने से पहले भूमि की उपलब्धता, वैधानिक मंजूरी की मांग और झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का कार्य सुगम होना चाहिए।

### 3.4. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission)

#### सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब तक **86% धन का उपयोग किया गया है**। इसके अलावा, **69% परियोजनाएं भी पूरी कर ली गई हैं**।

#### स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत 2015 में शुरू किया गया था।
- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो प्रमुख अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराते हुए एक स्वच्छ तथा संधारणीय वातावरण प्रदान करते हैं। साथ ही, ये शहर 'स्मार्ट सॉल्यूशन' के जरिए नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर भी प्रदान करते हैं।
- स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए **100 शहरों** का चयन किया गया है।
- इस मिशन में 3 मॉडल को शामिल किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:
  - शहर में सुधार (रेट्रोफिटिंग),
  - शहर का नवीनीकरण (पुनर्विकास)
  - सिटी एक्सटेंशन (ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट)।
- शहर के स्तर पर स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) को लागू करने के लिए प्रत्येक शहर द्वारा **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV)** गठित किया जाता है।
  - SPV शहर स्तर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक निगमित कंपनी होगी। इसमें प्रवर्तक/ प्रमोटर्स के रूप में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय (ULB)<sup>46</sup> शामिल होंगे। इनकी इक्विटी शेयर होल्डिंग 50:50 के अनुपात में होगी।
  - SPV में निजी क्षेत्र या वित्तीय संस्थानों की इक्विटी हिस्सेदारी पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और ULB के 50:50 के शेयर होल्डिंग पैटर्न को बनाए रखना होगा। अधिकांश शेयरहोल्डिंग और SPV का नियंत्रण राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और ULB के पास होना चाहिए।


#### स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित समस्याएं/ मुद्दे

- **स्मार्ट शहरों के लिए उपयुक्त अवसंरचना का अभाव:** स्मार्ट सिटी पहलों को भौतिक और आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में सहायता की आवश्यकता है।
- **पारदर्शिता और डेटा गोपनीयता:** स्मार्ट शहर, अलग-अलग स्रोतों से डेटा के एकत्रण और विश्लेषण पर निर्भर हैं जो गोपनीयता संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।



<sup>46</sup> Urban Local Bodies

- **वित्त-पोषण:** स्मार्ट शहरों को बरकरार रखने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि सभी शहरों के पास स्मार्ट सिटी पहलों को लागू करने हेतु वित्तीय क्षमता मौजूद नहीं है।
- **डाटा प्रोसेसिंग क्षमता और दक्षता:** स्मार्ट शहरों को बड़ी मात्रा में डेटा को प्रॉसेस और डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक विश्वसनीय तथा कुशल तरीका अपनाने की आवश्यकता होती है।
- **धीमी प्रगति:** यह संभावना व्यक्त की गई है कि केवल लगभग 20 शहर ही जून 2023 की समय-सीमा को पूरा करने में सक्षम होंगे; जबकि बाकी शहरों को अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी।
  - प्रगति की धीमी गति से पता चलता है कि परियोजनाओं का प्रबंधन और निष्पादन अपर्याप्त रहा है। इससे संसाधनों की बर्बादी होती है और नागरिकों को देरी से लाभ मिलता है।
- **विकेंद्रीकरण के खिलाफ:** SPV स्थानीय सरकारों की शक्तियों और स्वायत्तता को सीमित करते हैं। यह 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 की मूल भावना के खिलाफ है जो विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है।



## सुझाव

- **परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सख्त समय-सीमा:** स्मार्ट सिटीज मिशन ने नियोजित परियोजनाओं का केवल 69% ही पूरा किया है। यह परियोजना को पूरा करने के लिए एक सख्त समय-सीमा की आवश्यकता को दर्शाता है। हालांकि, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के संबंध में विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकें।
- **दीर्घकालिक कार्यक्रम की आवश्यकता:** स्मार्ट सिटीज मिशन को एक दीर्घकालिक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाना चाहिए। इसे महज पांच या छह वर्षों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि वर्तमान लक्ष्य के तहत निर्धारित किया गया है।

- दीर्घकालिक कार्यक्रम के रूप में यह मिशन इन कस्बों और शहरों के सामने आने वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करेगा।
- **प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताओं का निर्माण:** SPV और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित कर्मचारियों की प्रबंधकीय तथा वित्तीय क्षमताओं के निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- **SPV पर अनुभवजन्य अध्ययन:** देरी के कारणों को समझने के लिए कार्यान्वयन में पिछड़े शहरों में SPV पर अनुभवजन्य अध्ययन किए जाने चाहिए।
- **धन जुटाना:** केंद्र, राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए धन जुटाने हेतु अधिक-से-अधिक प्रयास करने चाहिए। कुशल कराधान और वित्त-पोषण के वैकल्पिक स्रोतों की सहायता से अधिक राजस्व उत्पन्न करने की आवश्यकता है।
- **साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना:** डेटा सुरक्षा और एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करके स्मार्ट शहरों को साइबर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

### 3.5. ई-कॉमर्स को बढ़ावा और विनियमन (E-Commerce Promotion And Regulation)

#### सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने “भारत में ई-कॉमर्स को बढ़ावा और विनियमन<sup>47</sup>” शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

#### ई-कॉमर्स के बारे में

- **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** “डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री” को ई-कॉमर्स के रूप में परिभाषित करता है।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत दो प्रकार के बिजनेस मॉडल का उपयोग किया जाता है:
  - **मार्केटप्लेस मॉडल:** इस मॉडल में प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स खरीदारों और विक्रेताओं के बीच केवल लेन-देन की सुविधा प्रदान करते हैं। वे लॉजिस्टिक्स/ सामानों, उनकी डिलीवरी तथा रिटर्न का काम-काज देखते हैं और ऑर्डर को पूरा करते हैं। वे खुद कोई सामान नहीं बेचते हैं, उदाहरण के लिए- अमेज़न और फ्लिपकार्ट।
  - **इन्वेंटरी मॉडल:** इस मॉडल में प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स खुद अपना सामान बेचते हैं। वे अपने गोदाम से सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं, उदाहरण के लिए- बिग बास्केट।



### क्या आप जानते हैं?

- यदि वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले लघु ऑनलाइन विक्रेताओं का कारोबार 40 लाख रुपये से कम है तो उनके लिए **GST** पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। हालांकि, यह प्रावधान कुछ शर्तों के अधीन है।
- इन लघु ऑनलाइन विक्रेताओं को अपना स्थायी खाता संख्या (PAN) और व्यवसाय का मुख्य स्थान घोषित करना आवश्यक होता है।
- यह प्रावधान ऑनलाइन और ऑफलाइन लघु विक्रेताओं के बीच समानता बनाए रखता है।

<sup>47</sup> Promotion and regulation of e-commerce in India